सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/778 दर्ज तिथिः—19.12.2025

वादी		प्रतिवादी
जालाराम पुत्र दीपाराम वगैरह	बनाम	सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा वगैरह
जरिये अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी		

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—86
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956
निर्णय तिथिः—04.05.2026

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना—पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—86 के बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा निवेदन कियाः—
   - कि अदालत हाजा में एक राजस्व आवेदन संख्या 2024/450 उनवान केसाराम बनाम सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्णय दिनांक 23.05.2025 को किया गया है। उक्त निर्णय में खसरा संख्या 339 व 339/2 मौजा आडेल के खसरे में तरमीम दुरूस्ती करते हुए रास्ता अंकित किया गया है। जबकि उक्त खसरे के खातेदारों को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। इस कारण बिना खातेदारान को सुने उक्त प्रकरण का निर्णय किया गया है।
   - कि इस प्रकार उक्त निर्णय में प्रथमदृष्टया रिकॉर्ड की त्रुटि रही है। साथ ही पक्षकारान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।
   - कि इस प्रकार विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार को सुने बिना कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत हाजा का आदेश दिनांक 23.05.2025 प्रतिवादी को बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णित किया गया है। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब का अवसर दिए बिना प्रकरण का दिनांक 23.05.2025 का निर्णय करने से प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड व कार्यवाही की गलती स्पष्ट होती है। इस आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का पुनरावलोकन का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:49 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Provision

3. प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2025 को निर्णित प्रकरण संख्या 2024/450 का पुनरावलोकन चाहने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के धारा–86 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के धारा–86 के प्रावधान का प्रकरण में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के धारा–86 एवं अन्य संबंधित प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> *86. Review by the Board and other Courts – (1) The Board of its own motion, or on application of a party to a suit or other proceeding may reivew and may rescind, alter or confirm any order made by itself or by any of its members.*
> *(2) Even other revenue court or officer may either on its or his own motion, or on application of any party interested, review any order passed by itself or himself or by any of its or his predecessors in office and pass such orders in reference thereto as it or he thinks fit:*
> *Provided that – (i) no order shall be varied or reversed unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such order; (ii) no order from which an appeal has been made or which is the subject of any revision proceedings shall, so long as such appeal or proceedings are pending be reviewed; (iii) no order affecting any question of right between private persons shall be reviewed except on the application of a party to the proceedings, and no application for the review of such order shall be entertained unless it is made within ninety days from the passing of the order.*
> *(3) An application for review under this section shall lie on any of the grounds mentione din rule 1 of Order XLVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) and the provisions of the said order shall, subject to the provisions containe din subsection (1) or sub-section (2), be applicable.*

5. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के धारा–86 के प्रावधान का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 एवं अन्य संबंधित प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:49 IST
Reason: SelfAttested

ORDER XLVII
REVIEW

> ***1. Application for review of judgment****.—(1) Any person considering himself aggrieved—*
> *(a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,*
> *(b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or*
> *(c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes,*
> *and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order twithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applied for the review.*
>
> *Explanation.—The fact that the decision on a question of law on which the judgment of the Court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior Court in any other case, shall not be a ground for the review of such judgment.*

6. साथ ही प्रकरण में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—114 के प्रावधान का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***114. Review****.—Subject as aforesaid, any person considering himself aggrieved—*
> *(a) by a decree or order from which an appeal is allowed by this Code, but from which no appeal has been preferred.*
> *(b) by a decree or order from which no appeal is allowed by this Code, or*
> *(c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes,*
> *may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order, and the Court may make such order thereon as it thinks fit.*

Not Maintainable

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरावलोकन याचिका संख्या 453 / 2012 *AIR 2004 UTR 30* उनवान *KAMLESH VERMA vs. MAYAWATI* में दिनांक 08.08.2013 को दिये गये निर्णय में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के प्रावधान के अंतर्गत पुनरावलोकन नहीं किये जाने योग्य परिस्थितियों के बारे में विस्तृत विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *20.2 When the review will not be maintainable:171*
>
> *(i) A repetition of old and overruled argument is not enough to reopen concluded adjudications.*
> *(ii) Minor mistakes of inconsequential import.*
> *(iii) Review proceedings cannot be equated with the original*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:49 IST
Reason: SelfAttested

hearing of the case.
(iv) Review is not maintainable unless the material error, manifest on the face of the order, undermines its soundness or results in miscarriage of justice.
(v) A review is by no means an appeal in disguise whereby an erroneous decision is reheard and corrected but lies only for patent error.
(vi) The mere possibility of two views on the subject cannot be a ground for review.
(vii) The error apparent on the face of the record should not be an error which has to be fished out and searched.
(viii) The appreciation of evidence on record is fully within the domain of the appellate court, it cannot be permitted to be advanced in the review petition.
(ix) Review is not maintainable when the same relief sought at the time of arguing the main matter had been negatived.

Role Of Court

8. माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत *1980 AIR 674* उनवान *Northern India Caterers (India) Ltd vs Lt. Governor Of Delhi* में दिनांक 21.12.1979 को दिये गये निर्णय में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के प्रावधान के तहत न्यायालय की भूमिका के संबंध में विस्तृत विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> ***A plea for review, unless the first judicial view is manifestly distorted, is like asking for the moon***.

9. उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—114 के तहत कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परंतु राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु सीमा निर्धारित की गई है। उक्त सीमाएं निम्न प्रकार हैंः—

- किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना।
- किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि होना।
- अन्य कोई महत्वपूर्ण त्रुटि होना।

10. इस प्रकार राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु प्रथम बिन्दु के तहत किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना आवश्यक है। उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु पुनरावलोकन हेतु याची को यह साबित करना अनिवार्य है कि प्रकरण के निर्णय के समय उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों की वजह से असमर्थता या तत्समय उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्यों तक पहुंच या जानकारी याची को उपलब्ध नहीं थी। यहां उल्लेखनीय है कि किसी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु किसी प्रकरण में निर्णय के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या अन्य कोई तथ्य का उक्त निर्णय को परिवर्तित, प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला तथ्य/साक्ष्य होना भी आवश्यक है।

11. इस प्रकार राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु द्वितीय बिन्दु के तहत किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि होना आवश्यक है। उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि प्रकरण के रिकार्ड पर स्पष्ट साबित हो। किसी प्रकरण में पत्रावली के तथ्यों के गहन अवलोकन व विश्लेषण तथा तार्किक मनन के पश्चात् किसी त्रुटि को खोजना या त्रुटि तक पहुचना पुनरावलोकन याचिका में अनुमत नहीं है। यहां उल्लेखनीय है कि किसी प्रकरण में निर्णय में रिकार्ड या प्रक्रिया की त्रुटि होना प्रकरण के रिकार्ड के प्रथमदृष्टया अवलोकन से स्पष्ट होना है।

12. इस प्रकार राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के तहत किसी प्रकरण का न्यायालय को पुनरावलोकन करने हेतु तृतीय बिन्दु के तहत किसी प्रकरण में निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण होना आवश्यक है। उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण होना प्रकरण के रिकार्ड पर स्पष्ट साबित हो। यहां उल्लेखनीय है कि किसी प्रकरण में निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। परन्तु निर्णय में अन्य कोई महत्वपूर्ण व पर्याप्त कारण का क्षेत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के प्रावधान में उल्लेखित प्रथम दो बिन्दुओं से सुसंगत होना चाहिए।

13. प्रकरण में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के प्रावधानों की व्याख्या व विधि की स्थिति को जानने के पश्चात् अब प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि अदालत हाजा का आदेश दिनांक 23.05.2025 प्रतिवादी को बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णित किया गया है। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब का अवसर दिए बिना प्रकरण का दिनांक 23.05.2025 का निर्णय करने से प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड व कार्यवाही की गलती स्पष्ट होती है। इस आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का पुनरावलोकन का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जावे।

14. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खसरा संख्या 339/2 मौजा आडेल के खातेदारान प्रकरण संख्या 2024/450 में पक्षकार नहीं बनाये गये हैं। परंतु प्रकरण संख्या 2024/450 के निर्णय दिनांक 23.05.2025 में खसरा संख्या 339/2 के खातेदारान किसी प्रकार से अप्रभावित प्रतीत होते हैं। क्योंकि प्रकरण संख्या 2024/450 के निर्णय दिनांक 23.05.2025 में मौके पर चालू रास्ते का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक स्थान पर तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त प्रकरण संख्या 2024/450 के निर्णय दिनांक 23.05.2025 में दिये गये आदेश से प्रार्थी की खातेदारी आराजी में से रास्ता कायम नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के तहत पुनरावलोकन के तीनों बिन्दुओं में से किसी भी बिन्दु के अंतर्गत आता प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि प्रकरण संख्या 2024/450 के निर्णय दिनांक 23.05.2025 के निर्णय के पूर्व अस्तित्व में रहा हो तथा उक्त निर्णय को प्रभावी रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 2024/450 के निर्णय दिनांक 23.05.2025 में कोई प्रथमदृष्टया रिकॉर्ड की त्रुटि प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके साथ ही पुनरावलोकन हेतु कोई अन्य सुसंगत बिन्दु प्रस्तुत कर पाने में भी प्रार्थी असफल रहे हैं। अतः प्रकरण का पुनरावलोकन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

वादी द्वारा उक्त राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के धारा—86 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.05.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:49 IST
Reason: SelfAttested